न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या– 10/2024 प्रार्थना पत्र/251ए. दिनांकः– 30.06.2025

अनवान

1– हीरालाल पिता चतुर्भुज ब्राहमण नि. अमीरामा तह. बडीसादडी

–प्रार्थी

।। बनाम ।।

1– कालु पिता गेहरीलाल ब्राहमण नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
2– भागवन्तीबाई पत्नी कालूराम ब्राहमण नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
3– तहसीलदार बडीसादडी

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,

उपस्थित– श्री वी.एस. राठौड़ प्रार्थी
श्री चेतन जायसवाल विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जोडी गई नवीन धारा 251–ए के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा अमीरामा पटवार हल्का अमीरामा तहसील बडीसादडी में स्थित होकर आराजी नंबर 173 रकबा 0.1200 है0, खसरा नं. 167 रकबा 0.1100 है0, खसरा नं. 168 रकबा 0.3400 है0 तथा खसरा नं. 169 रकबा 1.0700 है0 ग्राम अमीरामा तहसील बडीसादडी में स्थित है। अप्रार्थीगण में से अप्रार्थी कालूराम की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 174 तथा अप्रार्थीया भागवन्तीबाई की खातेदारी की आराजी खसरा नं. 172 ग्राम अमीरामा तहसील बडीसादडी में स्थित है।

1. यह कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 173 पर बोहेडा–अमीरामा आम रास्ता खसरा नं. 175 से पश्चिम की ओर मुडकर अप्रार्थी कालूराम की खातेदारी की आराजी खसरा नं. 174 के दक्षिण में तथा अप्रार्थीया भागवन्तीबाई की खातेदारी की आराजी खसरा नं. 172 के उत्तर में स्थित लगभग 12–13 फीट चौड़ाई के रास्ते आता जाता हैं तथा यह रास्ता प्रार्थी अपनी समझ से उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी अपनी आराजी खसरा नं. 173 पर हकाई, जुताई, फसल का बीज बुवाई तथा फसल कटाई के लिए एवं आराजी [illegible] ज आदि लाने हेतु निरंतर इसी रास्ते का उपयोग, उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी के पूर्वज भी इसी रास्ते से खसरा नं. 173 पर आने जाने हेतु इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते आये थे। आराजी खसरा नं. 173 पर जाने–आने का एकमात्र यही रास्ता उपलब्ध हैं लेकिन राजस्व रिकार्ड में इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.07.30 12:05:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

रास्ते का अंकन नहीं है। आराजीयात खसरा नं.– 175, 174, 172, 173 से संबंधित नक्शा ट्रेस भी संलग्न प्रस्तुत है।

2. यह कि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी को उक्त वर्णित रास्ते के उपयोग, उपभोग से कभी नहीं रोका गया लेकिन अभी हाल ही में आज से करीब 15–20 दिन पूर्व अप्रार्थीगण के द्वारा आराजी खसरा नं. 172 व 174 के बीच में स्थित उक्त वर्णित रास्ते के भू–भाग को हांक, जोतकर नष्ट कर दिया है। प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण को रास्ता हांककर नष्ट करने के बावत् आपत्ति की तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के साथ में लडाई, झगडा किया तथा प्रार्थी को धमकी दी कि भविष्य में प्रार्थी को अप्रार्थीगण खसरा नं0 172 व 174 के मध्य में आवागमन नहीं करने देंगे। इसलिए प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

3. यह कि प्रार्थी अपनी आराजीयात खसरा नं0 173, 167, 168, 169 पर आने–जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। अप्रार्थीगण को समझाने पर भी अप्रार्थीगण मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी को उक्त वर्णित रास्ते से अपनी आराजीयात में जाने से रोक दिया जायेगा तो प्रार्थी अपनी आराजीयात में फसल काश्त नहीं कर सकेगा, इसलिए आराजी खसरा नं0 172 के उत्तर में व आराजी नं0 174 के दक्षिण में रास्ता कायम कराया जाना आवश्यक हैं।

4. यह कि राजस्व रिकार्ड में आराजी खसरा नं0 172 व 174 के मध्य रास्ता अंकित नहीं होने से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के पुश्तैनी आवागमन के रास्ते को बंद कर दिया है। इसलिए मौके पर 12–13 फीट चौडाई की भूमि को रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया जाना आवश्यक है। प्रार्थी रास्ते के रूप में परिवर्तित की जाने वाली भूमि के मूल्य का भुगतान डी0एल0सी0 दर से अप्रार्थीगण को करने के लिए तत्पर हैं। इस वादग्रस्त आराजीयात की मौका रिपोर्ट मंगवाई जाना भी आवश्यक है जिससे वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सकेगी।

5. यह कि वाद कारण आज से करीब 15 दिन पूर्व उत्पन्न हुआ जबकि अप्रार्थीगण के द्वारा खसरा नं0 172 व 174 के मध्य स्थित कदीमी रास्ते को हांक, जोतकर नष्ट कर दिया।

अतः खसरा नं. 175 में स्थित बोहेडा–अमीरामा जाने वाले आम रास्ता से दक्षिण में अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 172 के उत्तर में व खसरा नं0 174 के दक्षिण में मध्य होकर प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात खसरा नं0 173 तक लगभग 13 फीट चौडाई के भू–भाग को रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया जावें। प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि बावत् डी0एल0सी0 दर से भूमि का मूल्य जमा कराने को तत्पर है। मौके की स्थिति बावत् रिपोर्ट मंगवाई जाने हेतु कमिश्नर की नियुक्ति का भी आदेश फरमावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी नं0 1 व 2 की ओर से निम्नानुसार प्रस्तुत किया –

1. उक्त चरण में अंकित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। क्योंकि प्रार्थी कभी भी अप्रार्थीगण की आराजी में होकर नहीं जाता है प्रार्थी अपनी आराजी नं. 173 पर हकाई, जुताई, फसल बीज बुवाई तथा फसल कटाई के लिये एवं आराजी की उपज आदि लाने हेतु कभी भी अप्रार्थीगण की आराजी में होकर नहीं गया क्योंकि प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से श्यामुबाई की आराजी नं. 166 से होकर रास्ते की

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.07.30 12:05:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

आराजी नं. 175 पर जाता है। अप्रार्थीगण की आराजीयात पर कभी कोई रास्ता नहीं रहा है।

2. उक्त चरण में अंकित तथ्य पूर्णतः गलत होने से अस्वीकार है। क्योंकि प्रार्थी हीरालाल व श्यामुबाई ब्राह्मण के परिवार के पुष्करलाल ब्राह्मण ने आराजी नं. 172 अप्रार्थीया भागवन्तीबाई को विक्रय कर दी गयी थी। उक्त आराजी नं. 172 को प्राथी हीरालाल व श्यामुबाई जबरन दबाव बनाकर कम रूपयों में पुष्करलाल कय करना चाहते थे। उक्त बात की रंजिश से प्रार्थी हीरालाल ने उक्त प्रकरण व श्यामुबाई ने न्यायालय आप में प्रकरण संख्या 09/2024 मु.रे. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्त.अधि. षडयंत्रपूर्वक द्वेषता से उक्त दोंनो प्रकरण दर्ज करवाये गये है। रास्ते की आराजी नं. 175 है। प्रार्थी हीरालाल की आराजी नं. 173 के सटमा श्यामुबाई की आराजी नं. 175 है। और प्रार्थी अभी भी मौके पर उक्त आराजी पर बने रास्ते से होकर ही आता–जाता है। तथा प्रार्थी के उक्त रास्ता ही सबसे निकटम रास्ता है। प्रार्थी हीरालाल व श्यामुबाई ने मात्र अप्रार्थीया नं. 2 भागवन्तीबाई द्वारा आराजी नं. 172 कय कर लेने से रंजिश के कारण उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थीगण की आराजी नं. 172 व 174 पर मौके पर कभी कोई रास्ता रहा ही नहीं है।

3. उक्त चरण में अंकित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। क्योंकि प्रार्थी के आराजी नं. 173 पर आने–जाने के लिये मौके पर रास्ता आराजी नं. 166 श्यामुबाई की आराजी पर होकर जाता है और प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय आराजी नं. 166 पर बने रास्ते का ही उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है केवल मात्र अप्रार्थीया नं. 2 भागवन्तीबाई द्वारा आराजी नं. 172 कय कर लेने से पारिवारिक रंजिश के चलते परेशान करने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है।

4. उक्त चरण में अंकित तथ्य राजस्व रिकार्ड में आराजी नं. 172 व 174 में मध्य रास्ता अंकित नहीं होने का तथ्य सही होने से स्वीकार है। शेष समस्त तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। क्योंकि अप्रार्थीगण की आराजी में मोके पर कभी भी कोई रास्ता नहीं था बल्कि प्रार्थी मोके पर आराजी नं. 166 पर होकर आ जा रहा है जो कि प्रार्थी के सबसे निकटतम रास्ता है। तथा न्यायालय आप द्वारा मंगवाई गयी रास्ते की जांच रिपोर्ट पत्र कमांक/राजस्व/2025/44 में अंकन किया गया है कि आराजी नं0 173 पर पहुंच हेतु न्यूनतम दूरी आराजी नं. 166 के मध्य वनती है। किन्तु प्रार्थी द्वारा आराजी नं. 166 की खातेदार श्यामुबाई से साठ गाठ कर आराजी 16 पर न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद जांच रिपोर्ट में रास्ता वंद वताने के लिये खडा खोदकर मलबा डलवा दिया गया है। आराजी नंत्र 166 की खातेदार श्यामुबाई से साठ गाठ कर मात्र रंजिश के कारण उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

5. उक्त चरण में अंकित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। क्योंकि अप्रार्थीगण की खसरा नं. 172 व 174 पर कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। बल्कि मोके पर रास्ते की आराजी नं. 175 से प्रार्थी की आराजी नं. 173 पर जाने के लिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.07.30 12:05:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

आराजी नं. 166 से रास्ता जाता है और आराजी नं. 166 से होकर जाने वाला रास्ता ही प्रार्थी की आराजी पर जाने का सबसे निकटतम रास्ता है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र से तलब किया गया। विपक्षी नं. 1 व 2 की ओर श्री चेतन जायसवाल अधिवक्ता ने पावर पेश किया। विपक्षी न. 3 वावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। विपक्षी अधिवकता ने जवाव प्रार्थना पत्र पेश किया। न्याय निर्णय के बिन्दु तक पहुचने हेतु मौका एवं राजस्व रिकार्ड की वस्तुस्थिति को रिकार्ड पर लिये जाना उचित होने से तहसीलदार बडीसादड़ी को मौका कमीशनर नियुक्त जाकर मौका रिपोर्ट तलब की गई ।

पैरोकार सरकार व कमीशनर तहसीलदार बडीसादड़ी द्वारा न्यायालय हाजा में मौका कमीशनरी रिपोर्ट जो कि भू0अ0नि0 बांसी व पटवारी हल्का अमीरामा द्वारा दिनांक 14.05.2025 को मुर्तिब की गई जिसके अनुसार कालु पिता गेरीलाल ब्राहमण निवासी अमीरामा के खातेदारी आराजी नं. 174 की दक्षिण मेड पर पूर्व से पश्चिम लम्बाई 38 मी. एवं चौड़ाई 2 मी. कुल क्षेत्रफल 38 मी x 2 = 76 वर्ग मीटर जिसका संलग्न नक्शा संलग्न ट्रेस में लाल स्याही से अंकन कर दिया गया है। तथा श्रीमती भगवंतीबाई पत्नी कालुराम ब्राहमण निवासी अमीरामा की खातेदारी आराजी नं. 172 की उत्तरी मेड पर पूर्व से पश्चिम लम्बाई 38 मी. एवं चौड़ाई 2 मी. कुल क्षेत्रफल 38 मी x 2 = 76 वर्ग मीटर जिसका संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकन कर दिया है। उक्त आराजी 173 पर पहुंच हेतु न्यूनतम दूरी आराजी नम्बर 166 व 174 के मध्य बनती है। किन्तु आराजी नम्बर 166 के खातेदार द्वारा रास्ते की तरफ कुआ खोद रखा है। व मलबा पडा हुआ है। 166 व 174 की मेड पर एक डी.पी. लगी हुई है। एक अन्य प्रकरण 9/2024 में दिनांक 10.03.2025 श्यामुबाई बनाम कालु में भी प्रस्तावित स्थान में रास्ता चाहा गया है।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता विपक्षीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कोई रिर्कोडेड मार्ग नहीं है तथा विपक्षीगण की आराजीयात में से कदीमी से आ जा रहें है इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है । अतः प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कदीमी मार्ग को रास्ता के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें। इसके विपरीत विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जाहिर किया कि खसरा नं. 172 व 174 के मध्य कभी भी मोके पर रास्ता नहीं रहा है। वल्कि मोके पर रास्ते की आराजी नं. 175 से प्रार्थी की आराजी नं. 173 पर जाने के लिये आराजी नं. 166 से रास्ता जाता है और आराजी नं. 166 से होकर जाने वाला रास्ता ही प्रार्थी की आराजी पर जाने का सवसे निकटतम रास्ता है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। तथा अपना जवाव में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को खारीज करने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] रिपोर्ट का अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी की आराजी नम्बर 173 पर पहुंच [illegible] रिर्कोडेड मार्ग उपलब्ध नहीं होना प्रमाणित है तथा इस आराजीयात पर पहुंचने हेतु विपक्षी [illegible] पिता गेरीलाल ब्राहमण निवासी अमीरामा के खातेदारी आराजी नं. 174 की [illegible] पर पूर्व से पश्चिम लम्बाई 38 मी. एवं चौड़ाई 2 मी. कुल क्षेत्रफल 38 मी x 2 = 76 वर्ग मीटर तथा श्री[illegible] भगवंतीबाई पत्नी कालुराम ब्राहमण

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.07.30 12:05:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

निवासी अमीरामा की खातेदारी आराजी नं. 172 की उत्तरी मेड पर पूर्व से पश्चिम लम्बाई 38 मी. एवं चौड़ाई 2 मी. कुल क्षेत्रफल 38 मी x 2 = 76 वर्ग मीटर में से होकर जाने के लिए वांछित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी आवागमन हेतु वास्तविक स्थाई रास्ता चाहते है। तहसीलदार बडीसादडी की रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ता न्यूनतम दूरी पर है। प्रस्तुत कमीशनरी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी की जोत पर पंहुच मार्ग का अभाव होना पूर्णतया साबित है। राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक पं.2 (63) राज.9/20.14 जयपुर दिनांक 20–9–2014 एवं परिपत्र कमांक प.3(52) राज.6/2012/4 जयपुर दिनांक 14–1–2014 के अनुसरण में संबंधित खातेदार को अपनी आराजीयात /खेतों पर पहुंच के लिए रास्ता गुजरता है या नवीन रास्ता प्रस्तावित है तो रास्ते में आने वाली भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत समर्पण किया जाकर रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है यदि ऐसे प्रस्तावित रास्ते के बीच में यदि कोई भूमि पडती है तो खातेदार अपनी जोत तक नया मार्ग कायमी हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में प्रावधान किया गया है। खातेदार की जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव होने की स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2014 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि की दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जाने के प्रावधान किये गये हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251–ए निम्न शर्तो के अध्यधीन स्वीकार किया जाता है –

1. ग्राम अमीरामा पटवार हल्का अमीरामा की खसरा संख्या 173 भूमि पर पहुंच मार्ग का अभाव होने से वैकल्पिक मार्ग के रूप में उक्त आराजी के पड़ोस की विपक्षीगण की आराजी नम्बर 174 की दक्षिण मेड पर पूर्व से पश्चिम में 38 गुणा 2 = 76 वर्ग मीटर क्षेत्रफल बनता है। आराजी नम्बर 172 की उत्तरी मेड पर पूर्व से पश्चिम में 38 गुणा 2 = 76 वर्ग मीटर क्षेत्रफल बनता है । भूमि का रास्ता निम्न प्रकार कमीशनरी रिपोर्ट एवं नक्शे अनुसार अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिसे रास्ते हेतु अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में रास्ता अंकित किया जावे ।
2. रास्ते हेतु अवाप्त की जाने वाली आराजी नम्बर 174 का 38 गुणा 2 = 76 वर्ग मीटर तथा आराजी नम्वर 172 का 38 गुणा 2 = 76 वर्गमीटर भूमि का वर्तमान प्रचलित वाजार दर अनुसार मूल्याकंन तहसीलदार बड़ीसादड़ी द्वारा अपने स्तर पर आंकलन कर बनने वाली भूमि कीमत की दुगुनी राशि प्रार्थी से वसूल कर हितबद्व खातेदारान् को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में नियमानुसार संदाय किये जाने के उपरान्त ही उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल किया जा सकेगा। यदि वर्तमान में डी.एल.सी. दर में परिर्वतन हो गया है तो उसी अनुसार डी.एल.सी. [illegible] की जावे।
3. रास्ता हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि पर प्रार्थीगण का [illegible] नहीं होकर सार्वजनिक हितार्थ होगा तथा इस संबंध में प्रार्थीगण को रास्ता भूमि के स्वामित्व के अधिकार प्रोद्भूत नहीं होगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.07.30 12:05:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

4. इस प्रकरण के साथ ही प्रकरण संख्या 9/2024 (251ए) उनवान श्यामुबाई बनाम कालू को समेकित किया जाता है। क्योकि उक्त प्रकरण में भी प्रार्थीया ने वही अनुतोष मांगा जो प्रकरण संख्या 10/2024 (हीरालाल बनाम कालू) में प्रार्थी हीरालाल ने मांगा है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बड़ीसादड़ी को उक्तानुसार रास्ते हेतु भूमि अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाने प्रेषित की जावे । निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर दिनांक 30.06.2025 को सुनाया गया ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

(प्रवीण कुमार मीणा) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.07.30 12:05:06 IST
Reason: SelfAttested